



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 322 वर्ष 2026

संदीप तिवारी

..... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ और 2 अन्य के माध्यम से

.....विपक्षीगण

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता	:	राकेश कुमार त्रिपाठी
विपक्षीगण के अधिवक्ता	:	साशकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-27

माननीय न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा

1. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अतिरिक्त साशकीय अधिवक्ता की बातें सुनी और पत्रावलि का अवलोकन किया।
2. परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत यह पुनरीक्षण याचिका, लखीमपुर खीरी स्थित परिवार न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश द्वारा दिनांक 21/02/2026 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जो कि दिनांक 30/10/2025 के आवेदन पर पारित मामला संख्या 473/2021 में दिनांक 04/09/2025 के आदेश को

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

निरस्त करने और दिनांक 04.09.2025 के उस आदेश के विरुद्ध है जिसके द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश पारित किया गया है।

3. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि पुनरीक्षणकर्ता भरण-पोषण मामले संख्या 473/2020 में प्रतिवादी है, जो लखीमपुर खीरी स्थित प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय में लंबित है। वह उक्त भरण-पोषण मामले में उपस्थित हुआ था, लेकिन उसकी अनुपस्थिति के कारण उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई, जिसे 22/02/2023 को स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन उसकी बाद की अनुपस्थिति के कारण, 28/11/2023 को उसके विरुद्ध फिर से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उसने 05/06/2024 को उक्त एकपक्षीय कार्यवाही को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया। पुनरीक्षणकर्ता ने 7/12/2024 को एक नया आवेदन दायर किया, जिसे आगे न बढ़ाने के कारण खारिज कर दिया गया। इसके बाद, उसने 4/9/2025 को अपने पूर्व आचरण का हवाला देते हुए एकपक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।
4. विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दिनांक 30.10.2025 को दायर की गई पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र में यह आधार दिया गया था कि 04/09/2025 को पुनरीक्षणकर्ता अचानक बीमार होने के कारण अदालत की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सका और न ही वह अपने अधिवक्ता को कार्यवाही में शामिल होने के लिए सूचित कर सका। जब उसने 04/09/2025 के आदेश की स्थिति जानने के लिए अपने अधिवक्ता से संपर्क किया, तो उसके अधिवक्ता ने उसे सूचित किया कि उसकी याचिका खारिज कर दी गई है और मामले की सुनवाई एकपक्षीय होगी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता ने पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रार्थना की कि न्यायालय पुनरीक्षणकर्ता को लिखित बयान दाखिल करने और मामले की सुनवाई में भाग लेने का अवसर प्रदान करे, जिसकी तारीख 09/03/2026 तय की गई है। यदि एकपक्षीय निर्णय सुनाया जाता है, तो पुनरीक्षणकर्ता को गंभीर क्षति होगी।
6. इसके विपरीत, विद्वान अतिरिक्त साशकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश में उल्लिखित पुनरीक्षणकर्ता का आचरण उसे किसी भी प्रकार की अनुतोष का अधिकारी नहीं बनाता है।
7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रतीत होता है कि मामला वर्तमान में 09.03.2026 को एकपक्षीय बहस के अधीन है। यद्यपि पुनरीक्षणकर्ता का आचरण आपत्तिजनक है और वह अपनी चूक के कारण कई तिथियों पर उपस्थित नहीं हुआ, फिर भी निचली अदालत ने उसकी पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र खारिज कर दी थी। यद्यपि, इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मामले की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित होने के कारण उसके हितों को नुकसान होगा और उसे सुनवाई का अवसर नहीं मिलेगा; अतः पुनरीक्षणकर्ता को विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा निवेदन किए गए अनुसार एक अंतिम अवसर दिया जाना चाहिए।
8. तदनुसार, दिनांक 21.02.2026 और 04.09.2025 के विवादित आदेश **रद्द** किए जाते हैं।
9. अतः, यह निर्देश दिया जाता है कि पुनरीक्षणकर्ता तुरंत निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होकर निर्धारित तिथि तक लिखित बयान दाखिल करे। यदि वह ऐसा करता है, तो निचली

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अदालत लिखित बयान स्वीकार करेगी और सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी। यदि वह उक्त निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, तो निचली अदालत मामले में निर्धारित अनुसूची के अनुसार विधि के अंतर्गत कार्यवाही करेगी।

10. उपरोक्त निर्देश के साथ पुनरीक्षण का निपटारा किया जाता है।

मार्च 18, 2026

(न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा)

केआर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।